झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2005

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित
2005 ।

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2005

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

खंड-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-6 का संशोधन ।
3. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-7 का संशोधन ।
4. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-8 का संशोधन ।
5. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-9 का संशोधन ।

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2005

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें (56वें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निर्मलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**-(1) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
(3) यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-6 के द्वितीय पंक्ति में अंकित शब्द समूह ''हकदार होगा'' के पश्चात् निम्न शब्द समूह जोड़े जायेंगे--
''हवाई यात्रा एवं जल पोत से यात्रा करने के समय मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री के साथ एक सहयात्री की सुविधा अनुमान्य होगी'' ।

3. **झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-7 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-7 में शब्द क्षेत्रीय भत्ता ''प्रतिमाह'' के बाद अंक ''4000/-'' के स्थान पर अंक ''8000/-'' एवं प्रकोष्ट के अन्दर के शब्द ''चार हजार'' के स्थान पर शब्द ''आठ हजार'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

4. **झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-8 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-8 के खंड (I) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा--

मुख्य मंत्री 11000/- (ग्यारह हजार) रुपये प्रतिमाह, मंत्री 8000/- (आठ हजार) रुपये प्रतिमाह एवं राज्य मंत्री 8000/- (आठ हजार) रुपये प्रतिमाह'' ।

5. **झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-8 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-9 में चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह के पश्चात् अंक एवं शब्द अंकित शब्द समूह ''रुपये 2000/-(दो हजार रुपये)'' के स्थान पर शब्द समूह ''रुपये 3000/-(तीन हजार रुपये)'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।